122

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 669–एक/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 17–7–2002 – पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण क्रमांक 35/2000–01 निगरानी

1– रामसेवक 2– राकेश सिंह
3– रामकरण सिंह 4– शिवसेवक सिंह
सभी पुत्रगण दर्शन सिंह
5– श्रीमती सुमन पत्नि रामसेवक
6– श्रीमती प्रेमलता पत्नि रामकेश
7– श्रीमती रमाकान्ति पत्नि रामकरण सिंह
8– श्रीमती गुडडी पत्नि शिवसेवक सिंह
सभी ग्राम गोपी तहसील अम्बाह जिला मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मुनेश्वर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
2– धर्मसिंह पुत्र बेताल सिंह
3– राजबहादुर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
4– रामदत्त शर्मा पुत्र मनरूप शर्मा
सभी ग्राम गोपी तहसील अम्वाह जिला मुरैना
5– मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदकगण

(आवेदकगण की ओर से अभिभाषक श्री शौरभ जैन)
(अनावेदक–5 के पैनल लायर श्री बी0एन0त्यागी)
(शेष अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित)

आ दे श

(आज दिनांक 20 जून, 2016 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/2000–01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17–7–2002 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार अम्बाह ने प्रकरण क्रमांक 3/1997-98 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-6-1998 से ग्राम गोपी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 434, 455, 456 (बंदोवस्त के वाद नवीन नंबर 379, 381, 382) के रकवा 60 वीघा को म0प्र0कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रयोग किया जाना (विशेष उपबंध अधिनियम) 1984 के अंतर्गत आवेदकगण के हित में आवंटित किया। अनावेदक क्रमांक 1 से 4 व्दारा भूमि आवन्टन की शिकायत प्रस्तुत करने पर अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह ने जॉच कर प्रतिवेदन दिनांक 5-12-98 कलेक्टर मुरैना को प्रस्तुत किया, जिस पर से कलेक्टर मुरैना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 319/1998-99 पंजीबद्ध किया एंव हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देकर आदेश दिनांक 12-12-2000 पारित किया तथा तहसीलदार अम्बाह व्दारा प्रकरण क्रमांक 3/1997-98 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-6-1998 निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 35/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2002 से निगरानी अस्वीकार की। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक को सुनना चाहा, किन्तु उन्होंने 10 दिवस में लेखी बहस प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया, परन्तु आदेश पारित करते समय तक लेखी बहस प्रस्तुत नहीं की गई। शासन के पैनल लायर से भी यही अपेक्षा की गई थी, उन्होंने भी लेखी बहस

प्रस्तुत नहीं की। अनावेदक कमांक 1 से 4 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों एंव अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया। कलेक्टर मुरैना के प्रकरण कमांक 319/1998-99 स्वमेव निगरानी के अवलोकन पर पाया गया कि इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह का जॉच प्रतिवेदन दिनांक 5-12-98 पृष्ठ 1 लगायत 4 संलग्न है जिसमें अंकित है कि :-

" प्रश्नाधीन पटटे की भूमि की जांच के सम्बन्ध में बन विभाग से जानकारी ली गई तो यह ज्ञात हुआ कि प्रश्नाधीन बंटित भूमि पर बन विभाग ने सन् 1984 में वृक्षारोपण किया था जिसके पश्चात् दिनांक 29-12-98 को इसे सरपंच ग्राम पंचायत गोपी को हस्तांतरित कर दी गई। "

शासकीय भूमि जो बन विभाग व्दारा वृक्षारोपण करके सार्वजनिक हित में ग्राम पंचायत को सौंपी गई, तहसीलदार व्दारा आवेदकगण के हित में वर्ष 1998 में ही अनुचित आधारों पर आवंटित की है।

5/ अनुविभागीय अधिकारी अम्बाह के जॉच प्रतिवेदन दिनांक 5-12-98 में यह भी अंकित है कि अनावेदक कमांक 2 एंव 3 ने इस भूमि के सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय में रिट पिटीशन कमांक 1700/1998 दायर की थी, जिसमें आदेश दिनांक 7-10-1998 से यथास्थिति बनाये रखने के आदेश थे, इसके वांवजूद आवेदकगण ने सार्वजनिक हित की भूमि पर खड़े वृक्षों को काटकर फसल बो दी गई। अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदन में बताया गया है कि :-

" तत्कालीन तहसीलदार अम्बाह व्दारा आदेश पारित करने के पूर्व 2 अक्टूबर 1984 के कब्जे को प्रमाणित करने के लिये कोई साक्ष्य नहीं ली गई है। प्रश्नाधीन बंटित भूमि के सर्वे नंबरान पर पूर्व से खसरा में कब्जा अंकित नहीं है।''

उपरोक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार अम्बाह ने प्रकरण क्रमांक 3/1997-98 अ-19 में पारित आदेश दिनांक 5-6-1998 से ग्राम गोपी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 434, 455, 456 (बंदोवस्त के वाद नवीन नंबर 379, 381, 382) के रकवा 60 वीघा को एक ही परिवार के सदस्यों को आवंटित करने में त्रृटि की गई है जिसके कारण कलेक्टर मुरैना ने स्वमेव निगरानी प्रकरण क्रमांक 319/1998-99 में आदेश दिनांक 12-12-2000 से नियम विरूद्ध भूमि आवन्टन को निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रृटि नहीं की है और इन्हीं कारणों से आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 35/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2002 में कलेक्टर के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 35/2000-01 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 17-7-2002 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर